

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/20/ 15

दिनांक 22/07/2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- खरवा प्रथम

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00157	3503 13.07.2020	गुवाडिया	5580	1.7394 है०	बरडा	5580/3	0.1052 है०	गै.मु. रास्ता
2	2020/00157	3503 13.07.2020	गुवाडिया	5930/5582	3.6729 है०	बरडा	5930/5582/3	0.4247 है०	गै.मु. रास्ता
3	2020/00157	3503 13.07.2020	गुवाडिया	6035/5594	1.6746 है०	बरडा	6035/5594/3	0.3236 है०	गै.मु. रास्ता
4	2020/00158	3512 13.07.2020	गुवाडिया	5947/5809	38.7996 है०	गै.मु. चटान	5947/5809/4	0.2832 है०	गै.मु. रास्ता
5	2020/00159	3511 13.07.2020	गुवाडिया	5947/5809	38.7996 है०	गै.मु. चटान	5947/5809/3	1.0112 है०	गै.मु. रास्ता
6	2020/00161	3510 13.07.2020	देवपुरा	5358/4316	4.6113 है०	गै.मु. चटान	5358/4316/3	0.4045 है०	गै.मु. रास्ता
7	2020/00161	3510 13.07.2020	देवपुरा	5364/4317	3.0338 है०	गै.मु. चटान	5364/4317/2	0.0809 है०	गै.मु. रास्ता
8	2020/00162	3509 13.07.2020	सूरजपुरा	6875/5991	3.6971 है०	बरडा	6875/5991/3	0.3843 है०	गै.मु. रास्ता

(मोहनलाल खटनावलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

